



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तभासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : uauaffiliation@gmail.com, uttarakhandayurved@gmail.com

पत्रांक : 3437 उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक : 11 / 03 / 2020

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

(शैक्षणिक सत्र 2018-19)

विश्वविद्यालय के कार्यकारी आदेश संख्या 571/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2019-20 दिनांक 17.06.2019 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट/संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-33 की उपधारा (4) में उल्लेखित प्राविधानों के अनुपालन में हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल फतेहपुर टाण्डा, जीवनवाला, डोईवाला, देहरादून उत्तराखण्ड को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु 60 सीटों एवं एम0डी0/एम0एस0 में 04 पी0जी0 कोर्स की 24 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र 2018-19 में एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क0 सं0	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
	हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल फतेहपुर टाण्डा, जीवनवाला, डोईवाला, देहरादून उत्तराखण्ड	बी0ए0एम0एस0 एम0डी0/एम0एस0	60 सीट 24 सीट	शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु अस्थाई सम्बद्धता। (एक वर्ष हेतु) 3,00,000/- संवर्ष है।

- संस्थान को शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।
- संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
- संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
- छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों के सदस्यों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास बैंक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम रोकें जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
- पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
- केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।

(60)

11. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी वर्ष में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

कृपया तदनुसार वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय शुल्क सम्बन्धी ड्राफ्ट मूलरूप में विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ० माधवी गोस्वामी)
कुलसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. मुख्य वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल फतेहपुर टाण्डा, जीवनवाला, डोईवाला, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(डॉ० माधवी गोस्वामी)
कुलसचिव।